ऑन लाईन नं.GCMS2023/30

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 19/2023

श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. जोगेन्द्र कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द —खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक—
फर्म:— मै0 नरेश मसाला सप्लायर्स कम्पनी, 13 सी इन्डस्ट्रीयल स्टेट, श्रीगंगानगर।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006
की धारा 26(2)(ii)/52 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 17.05.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संशोधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर दिया गया । व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्यक्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक निदेशालय के आदेश क्रमांक:—खाद्य सुरक्षा/ निदे0/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.01.2022 को दोपहर पूर्व 11.00 ए.एम. पर **मैसर्स नरेश मसाला सप्लायर्स कम्पनी, 13 सी इन्डस्ट्रीयल स्टेट, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता श्री जोगेन्द्र कुमार पुत्र दीवान चन्द को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **मिर्ज पाउडर (गौरव ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखे **मिर्ज पाउडर (गौरव ब्राण्ड)** के 500 ग्राम वजनी 150 पोली पेकेट आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। मुझे इसी **मिर्ज पाउडर (गौरव ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **मिर्ज पाउडर (गौरव ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व मैने हस्ताक्षर किये।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **मिर्ज पाउडर (गौरव ब्राण्ड)** 500 ग्राम वजनी में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से मुल शील्ड 4 पोली पैकेट (कुल 2 किलोग्राम) को क्रय कर लिया। क्रयशुदा प्रत्येक 4 पैकेटों को प्लास्टिक जारों में पैक किये व 4 बड़े जारो पर 4 लेबल चिपकाये। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रय शुदा **मिर्ज पाउडर (गौरव ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 320/— रूपये किया तथा केशमीमों बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे जोगेन्द्र कुमार एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सही मानकार हस्ताक्षर किये तथा स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक जोगेन्द्र कुमार को देकर असल रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए की मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पेय पदार्थ **मिर्ज पाउडर (गौरव ब्राण्ड)** के इन चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नम्बर **K-1318** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागो के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री जोगेन्द्र कुमार एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है। दो फार्म 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/97/एक्ट/2022/97 दिनांक 25.01.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1318 **Mirch Powder अमानक स्तर** (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त जोगेन्द्र कुमार पुत्र दीवान चन्द खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मै0 नरेश मसाला सप्लायर्स कम्पनी, 13 सी इन्डस्ट्रीयल स्टेट, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mirch Powder** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अभियुक्त संख्या की तरफ से अधिवक्ता श्री नवनीत कटारिया ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 1 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसके द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है।
2. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 2 के वाक्यांत आशिंक रूप से स्वीकार है। एफ एस ओ लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा फार्म संख्या 5ए के अनुसार मिन जवाबदाता की फैक्ट्री का निरीक्षण दिनांक 14.01.2022 को किया गया था जबकि प्रस्तुत आवेदन की उक्त मद में विक्रेता की दुकान से नमूनीकरण का कार्य किया जाना बताया जाकर परिवाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि निराधार , मिथ्या व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है। मिन जबावदाता की उक्त पता पर कोई दुकान स्थित नहीं है यह परिसर इण्डस्ट्रीज ऐरिया के अधीन है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा नमूना संख्या के–1318 लेते समय फार्म नं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट में Mfg. Date, Batch No/lote No-Best Before. मिर्च पाउडर के निर्माता का नाम व पता तथा वितरक का नाम व पता आदि कुछ भी अंकित नहीं किया गया है, जबकि एफएसएसए के नियमानुसार नमूनीकरण के दौरान फर्द रिपोर्ट व फार्म नं. 5ए में उक्त विवरण दिया जाना आवश्यक है जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–1318 लेते समय एफएसएसए के नियमों की पालना नहीं की गई है। न्याय दृष्टान्त FAC 207,2014(1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है।
3. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 3 के कथन अस्वीकार है। आवेदक एफ.एस.ओ. जीत सिंह यादव द्वारा मिन जवाबदाता के संस्थान का कोई निरीक्षण दिनांक 14.01.2022 को नहीं किया गया है। उक्त मद में अंकित समस्त कथन मिथ्या, झूठे व निराधर होने के कारण अस्वीकार है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा नमूना संख्या के–1318 मिन जबावदाता से लिया गया था न कि आवेदक द्वारा उक्त परिवाद में आवेदक जीत सिंह यादव है जिनके द्वारा उक्त परिवाद में अंकित नमूनीकरण आवेदक द्वारा किये गये जाने के तथ्य निराधार व झूठे एवं गलत होने के कारण वाद प्रथम दृष्टया ही निरस्तणीय है। उक्त मद की अंतिम पंक्ति में आवेदक ने अपने हस्ताक्षर होने के बारे में लिखा है आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित करें कि उक्त फर्द व नमूनीकरण के दौरान उसके हस्ताक्षर कहां कहां पर अंकित है।
4. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 4 पूर्णतया झूठे,गलत, मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। आवेदक एफएसओ ने किसी भी प्रकार का नमूनीकरण का कार्य मिन जवाबदाता के परिसर में नहीं किया गया है आवेदक जीत सिंह यादव जिनके द्वारा उक्त परिवाद में अंकित नमूनीकरण आवेदक द्वारा किये जाने के तथ्य निराधार व झूठे एवं गलत होने के कारण वाद प्रथम दृष्टया ही निरस्तणीय है। उक्त मद की अंतिम पंक्ति में स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर होने के बारे में लिखा है आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित करें कि उक्त फर्द व नमूनीकरण के दौरान स्वयं आवेदक के हस्ताक्षर कहां–कहां पर अंकित है।
5. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 5 पूर्णतया झूठे,गलत, मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा नमूना संख्या के–1318 मिन जबावदता से लिया गया था न की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

आवेदक द्वारा। उक्त परिवाद में आवेदक जीत सिंह यादव है। आवेदक एफएसओ ने किसी भी प्रकार का नमूनीकरण का कार्य मिन जवाबदाता के परिसर में नहीं किया गया है। आवेदक जीतसिंह यादव जिनके द्वारा उक्त परिवाद में अंकित नमूनीकरण आवेदक द्वारा किये जाने के तथ्य निराधार व झूठे एवं गलत होने के कारण वाद प्रथम दृष्टया ही निरस्तणीय है। उक्त मद में स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर होने के बारे में लिखा है आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित करें कि उक्त फर्द व नमूनीकरण के दौरान स्वयं आवेदक के हस्ताक्षर कहां कहां पर अंकित है।

6. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 6 पूर्णतया झूठे,गलत, मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा नमूना संख्या के–1318 मिन जबावदता से लिया गया था न की आवेदक द्वारा। उक्त परिवाद में आवेदक जीत सिंह यादव है। आवेदक एफएसओ ने किसी भी प्रकार का नमूनीकरण का कार्य मिन जवाबदाता के परिसर में नहीं किया गया है। आवेदक जीतसिंह यादव जिनके द्वारा उक्त परिवाद में अंकित नमूनीकरण आवेदक द्वारा किये जाने के तथ्य निराधार व झूठे एवं गलत होने के कारण वाद प्रथम दृष्टया ही निरस्तणीय है। उक्त मद में स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर होने के बारे में लिखा है आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित करें कि उक्त फर्द व नमूनीकरण के दौरान स्वयं आवेदक के हस्ताक्षर कहां कहां पर अंकित है।

7. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 7 पूर्णतया झूठे,गलत, मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा नमूना संख्या के–1318 मिन जबावदता से लिया गया था न की आवेदक द्वारा। उक्त परिवाद में आवेदक जीत सिंह यादव है। आवेदक एफएसओ ने किसी भी प्रकार का नमूनीकरण का कार्य मिन जवाबदाता के परिसर में नहीं किया गया है। आवेदक जीतसिंह यादव जिनके द्वारा उक्त परिवाद में अंकित नमूनीकरण आवेदक द्वारा किये जाने के तथ्य निराधार व झूठे एवं गलत होने के कारण वाद प्रथम दृष्टया ही निरस्तणीय है। उक्त मद में स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर होने के बारे में लिखा है आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित करें कि उक्त फर्द व नमूनीकरण के दौरान स्वयं आवेदक के हस्ताक्षर कहां कहां पर अंकित है। आवेदक यह भी साक्ष्य से साबित करें कि उक्त तिथि को श्रीगंगानगर के डीओ के अधीन पद स्थापित था या नहीं व उसके द्वारा अपनी उपस्थिति डी.ओ. श्रीगंगानगर के कार्यालय में दर्ज हो उसके प्रामण प्रस्तुत करवाये जावें।

8. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 8 आंशिक रूप से स्वीकार है। यह कि जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में Contravene Regulation 2.3.1-2(i),2.2.2(8), of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011. के अन्तर्गत दिया गया है। यह कि जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या L.S./97/Act/2022/97 दिनांक 25.01.2022 में Mfg. Date, Batch No. Not Given तथा Best Before लिखा है, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो ससनमूना संख्या के–1318 जन विश्लेषक को जांच हेतु भेजा गया था उस की फार्म संख्या 5ए व फार्म संख्या 6 मेमोरेंडम में Mfg. Date, Batch No/lote No-Best Before. मिर्च पाउडर के निर्माता का नाम व पता तथा वितरक का नाम व पता आदि कुछ भी अंकित नहीं किया गया है, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो नमूना मिन जवाबदाता से लिया गया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

था उस पर उक्त समस्त आवश्यक अंकित था जिससे भी साबित होता है कि एफएसओ द्वारा नमूनीकरण का कार्य नहीं किया गया है। उक्त आधार पर प्रस्तुत वाद मिन जवाबदाता के विरूद्व विधि विरूद्व पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया की पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तणीय है। उक्त परिवाद में अंकित नमूनीकरण आवेदक द्वारा किये जाने के तथ्य निराधार व झूठे एवं गलत होने के कारण वाद प्रथम दृष्टया ही निरस्तणीय है।

9. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 9 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
10. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 10 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।
11. यह कि आवेदन पत्र की मद संख्या 11 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार से विधि का उल्लंधन नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि विरूद्व तथ्यों पर आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जो कि पोषणीय नहीं होने के कारण सव्यय निरस्तणीय है।

अतिरिक्त कथनः–

1. यह कि आवेदक एफएसओ उक्त परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नहीं है उक्त आवेदक द्वारा नमूनीकरण की उक्त कार्यवाही में किसी भी रूप में शामिल नहीं होने के कारण तथा उक्त आवेदन में आवेदक का नाम गवाहा में शामिल नहीं होने के आधार पर ही उक्त वाद प्रथम दृष्टया निरस्तणीय है।
2. यह कि उक्त वाद पत्र के साथ आवेदक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओं के अभाव में निरस्तणीय है।
3. Section 2.1.3 Food Sefety Officer (FSO) के 4 (G) में लिखा है कि To recomandend Do to issue the improvement Notice to the FBO when ever necessary. इस नियम की भी FSO द्वारा पालना नहीं की गई है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जिसमें कि स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जो कि नियम विरूद्व है।
4. यह कि मिन जवाबदाता द्वारा अपना कर्तव्य समझते हुए उक्त विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर धारा 32 की पालना करते हुए एक पंजीकृत पत्र सुधार सूचना करने के उपरान्त दिनांक 25.03.2022 को श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर व कमिश्नर फुड सेफटी जयपुर को प्रेषित की गई थी जिसमें मिन जवाबदाता द्वारा विधिनुसार किये गये सुधार व नई पेंकिंग उक्त पत्र के साथ सलंग्न कर भेजी गई थी।
5. यह कि FSS Act 2006 के Section 32 की पालना भी नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17. 03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिसब्राण्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नहीं" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है।

अति. जिला कलक्टर (प्र...)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

6. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व जन विश्लेषक को गवाही के उदेश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावें जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।
7. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 FAC 255, 2017(1) माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शाक्ति को क्वेस किया गया है जिसकी प्रति सलंग्न दस्तावेज है।
8. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बैअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन संख्या 24/2017 के पारित अपने निर्णय दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरूद्व एफ बी ओ खारिज किया गया है।
9. यह कि प्रस्तुत प्यरिवाद गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जांच विधिनुसार नहीं की गई है उक्त नमूना किसी भी प्रकार से अमानक नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 की पालना नहीं की गई है एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लधंन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर विधिनुसार अधिरोपित कि जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

यह कि अन्य कथन बरवक्त बहस अज किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्व तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या के–1318 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है। जॉच रिपोर्ट के अनुसार धारा–3(1)(Zf)(c)(i) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि एफ एस ओ लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा फार्म संख्या 5ए के अनुसार मिन जवाबदाता की फैक्ट्री का निरीक्षण दिनांक 14.01.2022 को किया गया था जबकि प्रस्तुत आवेदन की उक्त मद में विक्रेता की दुकान से नमूनीकरण का कार्य किया जाना बताया जाकर परिवाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि निराधार , मिथ्या व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है। मिन जबावदाता की उक्त पता पर कोई दुकान स्थित नहीं है यह परिसर इण्डस्ट्रीज ऐरिया के अधीन है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा नमूना संख्या के–1318 लेते समय फार्म नं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट में Mfg. Date, Batch No/lote No-Best Before. मिर्च पाउडर के निर्माता का नाम व पता तथा वितरक का नाम व

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

पता आदि कुछ भी अंकित नहीं किया गया है, जबकि एफएसएसए के नियमानुसार नमूनीकरण के दौरान फर्द रिपोर्ट व फार्म नं. 5ए में उक्त विवरण दिया जाना आवश्यक है।आवेदक एफ.एस. ओ. जीत सिंह यादव द्वारा मिन जवाबदाता के संस्थान का कोई निरीक्षण दिनांक 14.01.2022 को नहीं किया गया है। उक्त मद में अंकित समस्त कथन मिथ्या, झूठे व निराधर होने के कारण अस्वीकार है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा नमूना संख्या के–1318 मिन जबावदाता से लिया गया था न कि आवेदक द्वारा उक्त परिवाद में आवेदक जीत सिंह यादव द्वारा लिया गया था।कि FSS Act 2006 के Section 32 की पालना भी नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिसब्राण्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि ''नहीं'' आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। अतः उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 की पालना नहीं की गई है। अतः वाद सव्यय निरस्त फरमायें जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया मिर्च पाउडर (गौरव ब्राण्ड) का सैम्पल के–1318 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/97/एक्ट/2022/97 दिनांक 25.01.2022 द्वारा (Misbranded Food) होना पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि निरीक्षण दिनांक 14.01.2022 को जिस दुकान से नमूनीकरण का कार्य किया जाना बताया जाकर परिवाद प्रस्तुत किया गया वहां पर अप्रार्थी की कोई दुकान स्थित नहीं है उक्त सैम्पल इण्डस्ट्रीज ऐरिया के अधीन से लिया गया है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–1318 लेते समय फार्म नं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट में Mfg. Date, Batch No/lote No-Best Before. मिर्च पाउडर के निर्माता का नाम व पता तथा वितरक का नाम व पता आदि कुछ भी अंकित नहीं किया गया है, जबकि एफएसएसए के नियमानुसार नमूनीकरण के दौरान फर्द रिपोर्ट व फार्म नं. 5ए में उक्त विवरण दिया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन निराधार है क्योंकि फार्म नम्बर 5ए एवं फर्द रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त सैम्पल मैसर्स नरेश मसाला सप्लायर्स कम्पनी, 13 सी इन्डस्ट्रीयल स्टेट,श्रीगंगानगर से लिया गया है एंव फार्म नं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट में विक्रेता का नाम व पता अंकित किया गया है। Mfg. Date, Batch No/lote No-Best Before. के लिए मिर्च पाउडर(गौरव ब्राण्ड) के 4 डिब्बे लिये गये जिस पर निर्माता का नाम व पता अंकित किया हुआ है। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि उक्त सैम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा लिया गया है जबकि परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीजीतपाल सिंह याद द्वारा प्रस्तुत किया है जिस पर हस्ताक्षर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव के है। उक्त परिवाद को प्रस्तुत करने हेतु लिखित अभियोजन स्वीकृति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 627–28 दिनांक 30.12.2022 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री जीत सिंह यादव को दी हुई है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उठाये गये आक्षेप निराधार है, जिन्हें खारिज फरमाया जावें। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं Food Analyst की रिपोर्ट दिनांक 25.01.2022 का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/52 का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। अभियुक्त जोगेन्द्र कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द, खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक –पर **MISBRANDED FOOD** के तहत मिर्च मसाला (गौरव ब्राण्ड) का विक्रय करने पर धारा 26(2)(ii)/52 के तहत 1,00,000/–रूपये (अखरे रूपये एक लाख मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त मिर्च मसाला (गौरव ब्राण्ड) का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में मिर्च मसाला (गौरव ब्राण्ड) के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)